पुलिस बल में महिलाओं के लिये 33% कोटा

चर्चा में क्यों

हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में **महिलाओं के लिये 33% आरक्षण** को अनुमति दी है, साथ ही पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता भी दिया है।

मुख्य बिंदु

- मंत्रिमंडल ने **राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989** में संशोधन को मंज़ूरी दी।
- केंद्रीय सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत **राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996** के **नियम 67 एवं 87** में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
    - 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिये 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया गया।
    - यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है, तो **दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों** को अब **पेंशन भुगतान आदेश (Pension Payment Order- PPO)** में स्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है।
    - राज्य कर्मचारियों के लिये **ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी** **20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए** की गई।

नोट: केंद्र सरकार ने **मार्च 2015** में दिल्ली में गैर-राजपत्रित पदों (कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर) पर सीधी भर्ती में महिलाओं के लिये **33% आरक्षण** को मंज़ूरी दी थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/33-quota-for-women-in-police-force